

परमाणु ऊर्जा केन्द्रीय विद्यालय, नरौरा  
Atomic Energy Central School, Narora

No: AECS/NAR/RTE /2026 /148

दिनांक / Date : 10.06.2026.

विषय: सत्र 2026-2027 के लिए आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश।  
Subject: Admissions under RTE Act for the session 2026-2027.

नीचे अधिसूचित रिक्त सीटों के लिए आरटीई के तहत प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश केवल बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 के लिए ही मान्य होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

Admissions under RTE Act will be considered only for Balvatika-II, III and class-1 as given below:

आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश एईईएस के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रदान किए जाएंगे।  
**Admission under RTE Act will be granted by following the guidelines of AEES.**

(क) आरटीई अधिनियम के तहत बालवाटिका-I में रिक्तियों की स्थिति:

(A) Vacancy position in Balvatika- I under RTE Act :

क्र मां क S. No	कक्षा Class	उपलब्ध सीटों की अनुमानित संख्या Expected no. of available seats	प्रवेश के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 31 मार्च 2026 को न्यूनतम आयु Minimum age on 31 <sup>st</sup> March 2026 of the year in which admission is sought	प्रवेश के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 31 मार्च 2026 को अधिकतम आयु सीमा Maximum age on 31 <sup>st</sup> March 2026 of the year in which admission is sought
01	Balvatika-II	11	4 years	5 years
02	Balvatika-III	06	5 years	6 years
03	Class - I	09	6 years	8 years

प्रिंसिपल द्वारा दिव्यांग बच्चों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में दो साल की छूट दी जा सकती है।  
The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Differently abled children by the Principal .


नोट: अन्य कक्षाओं के लिए कोई रिक्ति नहीं है। **Note: No vacancy exists for other classes.**

(ख) आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए पात्रता।

(B) Eligibility for grant of admission to Balvatika-II, III and class-I under the provisions of RTE Act 2009.

आस-पास के इलाके में रहने वाले बच्चे, जो वंचित समूह और/या कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, वे RTE अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत दाखिला लेने के पात्र हैं।

Children residing in the neighborhood area, who belong to Disadvantaged Group and / or Weaker Section are eligible to seek admission under the provisions of RTE Act,2009.

  
10/06/2026

(i) **वंचित समूह की परिभाषा:** वंचित समूह से संबंधित बच्चे का अर्थ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या ऐसे अन्य समूह से संबंधित बच्चा, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य कारकों के कारण वंचित हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (d))। विशेष आवश्यकता वाले और विकलांग बच्चे का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित अनुसार किया जाएगा।

(i) **Definition of Disadvantaged Group:** Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2 (d) of RTE Act). Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision Mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the concerned State Govt.

(ii) **दुर्बल वर्ग की परिभाषा:** दुर्बल वर्ग से संबंधित बच्चे का अर्थ ऐसे माता-पिता या अभिभावक (न्यायालय या कानून द्वारा घोषित) का बच्चा है, जिनकी वार्षिक आय उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है (आरटीई अधिनियम की धारा 2 (e))। आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के लिए आय सीमा संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार लागू होगी।


(ii) **Definition of weaker section:** Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute ) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (section 2 (e) of RTE Act). The income limit regarding economically weaker section will be applicable as notified by the State Govt. concerned.

(iii) **पड़ोस की परिभाषा:** आवेदक का निवास स्थान एईसीएस, नरोरा से 8 किमी के दायरे में होना चाहिए।

(iii) **Definition of neighborhood :** The residence of the applicant should be within a radius of 08 km. from AECS, Narora.

RTE एक्ट के तहत बालवाटिका-II, III और क्लास-I में एडमिशन के लिए प्रवेश फॉर्म स्कूल की वेबसाइट [aecs narora.ac.in](http://aecs narora.ac.in) से डाउनलोड किया जा सकता है या 11.06.2026 से 19.06.2026 तक वर्किंग डेज़ में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच स्कूल ऑफिस से लिया जा सकता है।

Application Form for Admission under RTE Act for class Balvatika-II, III and class-I can be downloaded from school's website: [aecs narora.ac.in](http://aecs narora.ac.in) or can be collected on working days from school office between 10.00 am. to 01.00 pm. from 11.06.2026 to 19.06.2026.

.....3/-  
  
10/06/2026


आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश फॉर्म एईसीएस, नरोरा स्थित माध्यमिक अनुभाग के विद्यालय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है (आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क आवश्यक नहीं है)।

**Admission form under RTE Act can be obtained from the school office, secondary section AECS, Narora ( No application form fee is required).**

(ग) आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेश के लिए भरे हुए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

**( C ) Documents required to be submitted along with the filled-in application form for admission under the RTE Act 2009:**

Certificate	Remarks
निवास का प्रमाण Proof of residence	मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड / एमएनआरईजीए कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट / वैध ड्राइविंग लाइसेंस / नवीनतम पानी का बिल / नवीनतम बिजली का बिल / कोई भी प्रामाणिक आधिकारिक दस्तावेज। Voter I-card / Ration card / MNREGA card / Aadhaar Card / Passport / Valid Driving license / Latest Water Bill / Latest Electricity Bill / Any authentic official document.
जन्म प्रमाण पत्र Birth Certificate	नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंचायत कार्यालय/ग्राम मुखिया/ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र, जिस पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व/पंचायत अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर हों। (* ) कृपया ध्यान दें कि जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। Certificate issued by Municipality/ Municipal Corporation / the original birth certificate issued by Panchayat Office/Village Mukhia / Sarpanch of a Gram Panchayat, endorsed under the seal and signature of the Revenue / Panchayat Officer of the area (* ) Please note that affidavit will not be accepted in lieu of the birth certificate.
जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र, यदि लागू हो Caste certificate and other certificate, if applicable	सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि बच्चा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यधिक जनजातीय (गैर-क्रीमी परत)/ बीपीएल/दिव्यांग वर्ग से संबंधित है, जैसा भी लागू हो। Certificate issued by competent authority stating that the child belongs to SC/ST/EWS/OBC(non-creamy layer)/BPL/differently - abled, as applicable
यदि लागू हो तो विकलांगता प्रमाण पत्र Disability certificate, if applicable	भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। Certificate issued by civil surgeon / rehabilitation centre or any other competent authority, as defined by the Government of India / Uttar Pradesh
आय प्रमाण पत्र Income certificate	राजस्व प्राधिकरण द्वारा माता-पिता की आय के संबंध में जारी किया गया प्रमाण पत्र। Certificate issued by revenue authority with regard to the income of the parents
पड़ोस में निवास का प्रमाण Proof of residence in the neighborhood	एईसीएस, नरोरा से निवास स्थान की दूरी के संबंध में लिखित में स्व-घोषणा। A Self - declaration in writing, with regard to the distance of the residence from AECS, Narora

 4/-  
06/06/2016

आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए शुल्क: बालवाटिका-II से लेकर कक्षा-VIII तक आरटीई अधिनियम के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। हालाँकि, जिन कर्मचारियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त है, वे आरटीई शुल्क रियायतों का दावा नहीं कर सकते।


**Fee for students admitted under RTE Act:** No fee will be charged from students admitted under RTE Act in Balvatika -II to till they complete Class-VIII. However, the employees who have the facility of fee reimbursement can not claim RTE fee concessions.

आरटीई छात्रों के चयन की विधि: यदि आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या निर्धारित सीटों से अधिक हो जाती है, तो सीटें लॉटरी द्वारा भरी जाएंगी।

**Mode of selection of RTE students:** If the number of eligible applications received seeking admission into Balvatika-II, III and Class -I under the provision of RTE At 2009 exceeds the prescribed seats, then seats will be filled by draw of lots.

### सामान्य निर्देश: General Instructions:

- आवेदकों और उनके अभिभावकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि एईसीएस, नरोरा एक अंग्रेजी माध्यम का सह-शिक्षा विद्यालय है।
- **Applicants and their parents may please note that AECS, Narora is an English-medium co-educational school.**
- यदि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए जाते हैं (जब तक कि अन्यथा इंगित न किया गया हो), तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- **If the required documents are not submitted along with the application (unless otherwise indicated ), the application will be rejected.**
- प्रवेश प्रपत्र जारी करने और स्वीकार करने मात्र से आरटीई अधिनियम 2009 के तहत छात्रों के प्रवेश की गारंटी नहीं मिल जाएगी।
- **Mere issue and acceptance of admission form will not guarantee the admission to students under RTE Act 2009.**
- प्रवेश के लिए शेष सभी मानदंड समय-समय पर लागू होने वाले एईईएस के दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे।
- **All the remaining criteria for admission will be based on the guidelines of AEES, as applicable from time to time.**
- विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र विद्यालय कार्यालय (माध्यमिक अनुभाग, एईसीएस, नरोरा) में जमा किए जाने चाहिए।
- **The duly filled-in Application Forms should be submitted at the school office (Secondary Section, AECS, Narora).**
- T.C. यदि बच्चे ने पिछली अर्हता-प्राप्त कक्षा में पढ़ाई की है/ **T.C. if child has attended previous qualifying class.**

  
.....5/-  
10/06/2026


आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए प्रवेश अनुसूची।

Admission schedule for admission to Balvatika-II, III and Class-I under the provisions of RTE Act.

क्रमांक Sr. No.	गतिविधि / Activity	दिनांक / Date	समय / Time
1	प्रवेश फॉर्म का वितरण एडमिशन फॉर्म स्कूल ऑफिस से लिए जा सकते हैं या RTE एक्ट के तहत बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रवेश फॉर्म स्कूल की वेबसाइट aecsnarora.ac.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। Distribution of admission Form from school office or Application Form for Admission under RTE Act for class Balvatika-II, III and class-I can be downloaded from school's website: aecsnarora.ac.in	11.06.2026 to 19.06.2026	10 am to 1 pm
2	विधिवत भरे हुए प्रवेश प्रपत्रों को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ जमा करना। Submission of the duly filled in admission forms with all supporting documents	12.06.2026 to 20.06.2026	10 am to 1 pm
3	बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 (लॉटरी के लिए पात्र छात्रों की सूची का प्रदर्शन) Display of the list of students eligible for lottery (Balvatika-II, III & Class-I)	बाद में घोषणा की जाएगी To be announced later	
4	बालवाटिका-II, III और कक्षा-1 के लिए पात्र आरटीई छात्रों का प्रवेश Admission of eligible RTE students for Balvatika- II, III and Class-I	बाद में घोषणा की जाएगी To be announced later	

**महत्वपूर्ण नोट:** यदि किसी भी स्तर पर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है, तो प्रवेश प्राप्त होने के बावजूद भी प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

**Important note:** Information, if found incorrect at any stage, will lead to the cancellation of the admission even if admission is obtained

  
(दिलीप सिंह / Dileep Singh)  
(प्रधानाचार्य / Principal)

वितरण / Distribution: सभी सूचना बोर्डों पर / All Notice Boards

ई-सूचना, एनएपीएस नरोरा / e-notice, NAPS Narora

Copy to: 1. अध्यक्ष, एलएमसी, आईसीएस, नरोरा / The Chairman, LMC, AECS, Narora

2. सचिव, ए.ई.ई.एस., मुंबई / The Secretary, AEES, Mumbai.